



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272447  
CG-DL-E-11052026-272447

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2245]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2336(अ).— भारत सरकार की अधिसूचना में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संख्या का. आ. 1987 (अ) दिनांक 21 अप्रैल 2026, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के तहत नियुक्त, प्रविष्टि संख्या 15 अर्थात् "श्रीमती वंदना योगी, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश" को इस प्रकार पढ़ा जाए "श्रीमती वंदना योगी, पूर्व अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश"।

[फा. सं. वी. 11011/01/2021-पी. एन. डी. टी.]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th May, 2026

**S.O. 2336(E).**— In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1987(E) dated 21st April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub -section (ii), relating to “appointed under clause (e) of sub-section (2) of Section 7” of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act of 1994, entry number 15 i.e. “Smt. Vandana Yogi, President, Bal Adhikar Sanrakshan Aayog, Himachal Pradesh”, to be read as **”Smt. Vandana Yogi, Former President, Bal Adhikar Sanrakshan Aayog, Himachal Pradesh”**.

[F. No. V.11011/01/2021-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.